

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा।

पत्रांक: एस0एस0ए0/क0गौ0आ0बा0वि0/5386-87/2026-27/

दिनांक: 09/09/2026

विज्ञप्ति

जनपद आगरा में संचालित कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक व शिक्षणोत्तर कार्मिकों के रिक्त पदों पर संविदा पर शैक्षिक सत्र 2026-27 हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 30/09/2026 तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, अशोक नगर, आगरा पर सांय 05 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे।

क्रम	पद नाम	कुल रिक्त पद	आरक्षण की स्थिति				मानदेय प्रतिमाह
			ई0डब्लू0 एस0 अनारक्षित	अनारक्षित	अनु0 जाति	अ0 पि0व0	
1	पूर्ण कालिक शिक्षिका (गणित), पी0सी0एम0 वर्ग से प्रशिक्षिक स्नातक एवं उ0प्रा0 स्तर की टी0ई0टी0	04	01	02	01	0	25,410/-
2	पूर्ण कालिक शिक्षिका (जीव विज्ञान) जेड0बी0सी0 वर्ग से प्रशिक्षिक स्नातक एवं उ0प्रा0 स्तर की टी0ई0टी0	02	01	0	01	0	25,410/-
3	पूर्ण कालिक शिक्षिका (अंग्रेजी) अंग्रेजी से स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0	02	0	0	01	01	25410/-
4	लेखाकार, (वाणिज्य में स्नातक एवं कम्प्यूटर पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य)	03	01	01	01	0	12,705/-
5	अंश कालिक शिक्षिका (शारीरिक शिक्षा), बी0पी0एड0, सी0पी0एड0 एवं डी0पी0एड0 आदि उपाधि	02	0	02	0	0	11,319/-
6	अंश कालिक शिक्षिका (कला क्राफ्ट, संगीत/गृह शिल्प)	02	01	0	0	01	11,319/-
7	अंश कालिक शिक्षिका (कम्प्यूटर)	05	01	01	03	0	11,319/-
8	रसोइया	01	0	01	0	0	7,970/-
9	सहायक रसोइया	10	02	07	0	01	5,978/-
10	चपरासी	02	0	0	02	0	6,642/-
11	चौकीदार	01	0	0	0	01	6,642/-
	योग	34	7	14	9	4	

अर्हता:-

- पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के पदों के लिए निर्धारित योग्यता उच्च प्राथमिक स्तर की टी0ई0टी0 एवं प्रशिक्षित स्नातक होगी। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 अथवा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण को सम्मिलित किया जायेगा।
- शिक्षिका पद हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक होना अनिवार्य है।
- पूर्ण कालिक शिक्षिकाओं को विद्यालय परिसर में रात्रि निवास अनिवार्य होगा।
- बी0पी0एड0, सी0पी0एड0, डी0पी0एड0 तथा व्यायाम रत्न आदि उपाधियाँ केवल शारीरिक शिक्षा के अध्यापन हेतु मान्य होंगी। किन्तु शारीरिक शिक्षा पद पर चयन हेतु अभ्यर्थियों के लिए टी0ई0टी0 अनिवार्य नहीं होगी।
- कम्प्यूटर शिक्षिका के लिये प्रशिक्षित स्नातक होना अनिवार्य है। प्रशिक्षण उपाधि के अन्तर्गत एन0सी0टी0ई0 से मान्य बी0एड0 तथा उसके समकक्ष एल0टी0 इत्यादि प्रशिक्षण सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त कम्प्यूटर शिक्षण हेतु पी0जी0डी0सी0ए0/बी0सी0ए0/बी0एस0सी0 कम्प्यूटर साइंस अथवा स्नातक सहित डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से 'ओ लेवल/ए लेवल डिप्लोमा आदि शैक्षिक योग्यता भी वांछित होगी।
- कला, क्राफ्ट एवं संगीत/गृह शिल्प आदि विषयों के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि होगी तथा गृह शिल्प की शिक्षिका का पद कला, क्राफ्ट एवं संगीत के पद के अन्तर्गत ही माना जायेगा।
- लेखाकार पद के लिए शैक्षिक योग्यता स्नातक वाणिज्य होगी तथा एम0एस0 ऑफिस पर कार्य का ज्ञान अनिवार्य होगा। डी0ओ0ई0ए0सी0सी0 या समकक्ष संस्था से ओ लेवल कम्प्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा की दशा में अभ्यर्थी को चयन में वरीयता दी जायेगी।
- मुख्य रसोइया/सहायक रसोइया/चपरासी/चौकीदार हेतु शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 उत्तीर्ण होगी तथा अभ्यर्थी को शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिये। रसोइया/सहायक रसोइया/चपरासी/चौकीदार का पद पूर्ण कालिक है इनके लिए विद्यालय में निवास करना अनिवार्य है।
- उपरोक्त समस्त पदों पर महिला अभ्यर्थियों का ही चयन किया जायेगा।
- समस्त रिक्तियाँ विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-13553/2022 स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाम सरोज मौर्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन होंगी।
- मानदेय राज्य परियोजना कार्यालय के निर्देशानुसार देय होगा।

आयु-

- 01 अप्रैल 2026 को समस्त पदों हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष तथा सभी पदों हेतु अधिकतम आयु 45 वर्ष होनी चाहिये।

निर्देश-

- इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन पत्र पूर्ण कर अपने समस्त शैक्षिक एवं आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र/अंक पत्र की प्रमाणित छायाप्रति, दो स्वयं के पते लिखे हुए लिफाफे जिन पर रूपये 60/- के डाक टिकट लगे हो संलग्न करें। आवेदन पत्र जिस लिफाफे में रखा जाये उस लिफाफे पर आवेदित पद का नाम स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
- आवेदन पत्र में अपना नाम पता मोबाइल नम्बर स्वप्रमाणित फोटो व शैक्षिक योग्यता प्राप्तांक एवं प्रतिशत का सही व स्पष्ट अंकन करें।
- अपूर्ण/हस्ताक्षर रहित/साधारण डाक से प्राप्त/प्रमाणित फोटो रहित/निर्धारित प्रारूप से इतर तथा निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्र निरस्त कर दिये जायेंगे।
- किसी सेवा से बर्खास्त, नैतिक अधमता के अपराध के लिए दोष सिद्ध एवं दिवालिया व्यक्ति चयन के लिए अर्ह नहीं होंगे।
- पदों की संख्या एवं आरक्षण की स्थिति घट-बढ़ सकती है।
- चयनोपरान्त अभ्यर्थी को एक माह के मानदेय के बराबर की धनराशि की सिक्कोरिटी मनी के रूप में एफ0डी0आर0, सचिव कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय, आगरा के नाम बन्ध कर जमा करानी होगी।
- उक्त विज्ञप्ति व आवेदन पत्र का प्रारूप एन0आई0सी0 की साइट agra.nic.in पर भी उपलब्ध है। आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, अशोक नगर, आगरा व सम्बन्धित ब्लॉक के खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा है।

(डॉ0 राकेश कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
आगरा।